न्यायालयः राकेश कुमार–III
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
प्रतापगंज थाना काण्ड संख्या– 65/2026

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 – 822/2026

1. मो0 आजाद आलम उर्फ लड्डू पे0 मो0 एयुब
2. बीबी मोमिना उर्फ मुबिना खातुन पे0 स्व0 सफीक मियॉ
3. मो0 सलाउद्दीन उर्फ बौआ पे0 मो0 शौकत अली
4. मो0 समशाद पति मो0 नूर आलम
5. बीबी गुलशन पति मो0 नूर आलम
6. मो0 अफरोज पे0 मो0 नूर आलम
7. मो0 नजमुल पे0 मो0 सफीक मियां उर्फ मो0 सफीक

सभी सा0– घटना गोविन्दपुर, वार्ड नं0 10, थाना– प्रतापगंज, जिला–सुपौल.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी

एवं साथ में

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 – 824/2026

1. मो0 फारुख पे0 स्व0 मो0 इब्राहीम
2. मो0 फैज पे0 मो0 फारुख
3. मो0 कैफ पे0 मो0 फारुख

सभी सा0– घटना गोविन्दपुर, वार्ड नं0 10, थाना– प्रतापगंज, जिला–सुपौल.....आवेदकगण

बिहार सरकार.....विपक्षी

17/07/26

प्रार्थी अभियुक्तगण 1. मो0 आजाद उर्फ लड्डु 2. बीबी मोमिना उर्फ मुबिना खातुन 3. मो0 सलाउद्दीन उर्फ बौआ 4. मो0 समशाद 5. बीबी गुलशन 6. मो0 अफरोज एवं 7. मो0 नजमुल की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–822/26 एवं प्रार्थी अभियुक्तगण 1. मो0 फारुफ 2. मो0 फैज एवं 3. मो0 कैफ की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 824/2026 में अपनी गिरफतारी की आशंका दिखाते हुए आज उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा चालित किया गया। चूँकि उपरोक्त दोनो अग्रिम जमानत आवेदन एक ही थाना काण्ड संख्या यथा प्रतापगंज थाना काण्ड संख्या–65/26 से उत्पन्न है। अतः निष्पादन हेतु उपरोक्त दोनो अग्रिम जमानत आवेदनों की सुनवाई एक साथ की गयी।

सुनवाई के क्रम में प्रार्थी अभियुक्त मो0 आजाद उर्फ लड्डु के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त मो0 आजाद उर्फ लड्डु को पुलिस द्वारा गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है। इसलिए इनका नाम प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन से विलोपित किया जाय। प्रार्थी अभियुक्त मो0 आजाद उर्फ लड्डु के द्वारा दाखिल प्रार्थना को स्वीकृत किया गया एवं उक्त अभियुक्त का नाम विलोपित किया जाता है। अब अग्रिम जमानत आवेदन सं0 822/26 में नामांकित कुल छः अभियुक्तगण 1. बीबी मोमिना उर्फ मुबिना खातुन 2. मो0 सलाउद्दीन उर्फ बौआ 3. मो0 समशाद 4. बीबी गुलशन 5. मो0 अफरोज एवं 6. मो0 नजमुल के लिए यह अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई की गयी।

उपरोक्त नामित प्रार्थी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रिंस कुमार ने निवेदन किया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा इनके विरुद्ध किसी भी तरह का विशिष्ट आरोप नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि अभियुक्तगण एवं सूचिका एवं उसके परिवार के लोग आपस में पड़ोसी है तथा दूर के रिश्तेदार भी है तथा सूचिका तथा उसके परिवार के सदस्यगण के अशिक्षित होने के कारण छोटी–मोटी बातां को लेकर प्रायः गांव के लोगो से लड़ाई–झगड़ा करते रहते है तथा यह विवाद भी छोटे बच्चों के बीच झगड़ा को लेकर बढ़ा–चढ़ा और गलत आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 118(1), 109, 76, 303(2) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत लगाया गया अरोप नहीं बनता है। प्रार्थी अभियुक्त का कहना

लगातार

17/07/25 **लगातार**	है कि प्रार्थी अभियुक्त मो0 फारुख, स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापक है तथा प्रार्थी अभियुक्त मो0 फैज एवं मो0 कैफ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है, इन्हें गंदी राजनीति के तहत् प्राथमिकी में जानबूझकर नाम दिया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0 के शर्तों को मानने एवं सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद सूचिका सलखून खातुन के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तों सहित कुल 10 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 76, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) बी0एन0एस0 में दर्ज किया गया है। सूचिका का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 12 / 03 / 2026 के समय करीब 09.30 बजे उसकी पुत्री रूकसार प्रवीन भतीजा मो0 इबराज प्राथमिक विद्यालय घटहा प्रखंड प्रतापगंज पढ़ने के लिए गया था। पढ़ाई के क्रम में उसकी पुत्र एवं भतीजा को उसके पड़ोस के मो0 आजाद उर्फ लड्डू के पुत्री लाडली खातून गाली–गलौज देते हुए दोनो बच्चे आपस में लड़ाई करने लगे, स्कूल के प्रधानाध्यापक मो0 फारुख का भतीजा मो0 आजाद उर्फ लड्डू स्कूल में मौजूद था वह सूचिका के भतीजे को पकड़कर लप्पड़–थप्पड़ से मारा जिसकी सूचना उसके भतीजे ने घर पर आकर दिया। तत्पश्चात् सूचिका एव उसकी ननद सबरून खातून स्कुल पहुँचकर स्कूल के प्रधानाध्यापक मो0 फारुख से पूछताछ करने लगी। इतने में मो0 फारुख, मो0 आजाद उर्फ लड्डू सूचिका एवं उसकी ननद को घेरकर गाली–गलौज करने लगे जिसका विरोध करने पर मारपीट धक्का मुक्की की गयी एवं धमकी दिया गया यहां से चले जाओं नहीं तो तुम्हें एवं तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। सूचिका उनकी ननद एवं उनके बच्चे को घर आने के क्रम में मो0 फारुख अपने अन्य सहयोगियों मो0 सलाउद्दीन, मो0 शमसाद, मो0 सलाउद्दीन, मो0 शमसाद, मो0 अफरोज, मो0 फैज, मो0 कैफ, मो0 मजमूल, मोमिना खातून, बीबी गुलशन एकमत होकर लाठी, डंडा, रॉड, फरसा हरवे हथियार से लैश होकर सूचिका के दरवाजे पर आकर घेरकर उनके साथ गाली–गलौज करते हुए लप्पड़ थप्पड़ लात–मुक्का से मारपीट करने लगे। मारपीट के क्रम में हंगामा सुनकर सूचिका के ससुर मो0 हाफीज, पति मो0 कासीम, भैंसुर मो0 नूरआलम, मो0 हासिम देवर मो0 हैदर व नूरआलम उर्फ नूरों उसे बचाने आया तो उक्त सभी इनके साथ भी मारपीट करने लगा। मारपीट के क्रम में मो0 फारुख अपने हाथ में लिये लोहे का रॉड से जान मारने की नीयत से उसके भैंसुर मो0 नूरआलम के सिर पर मार दिया जिससे उनका सिर फट गया और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया तथा मो0 आजाद उर्फ लड्डु अपने हाथ में लिए लाठी से जान मारने की नियत से उनके देवर मो0 हैदर व नूरआलम उर्फ नूरो पर चला दिया जिसके लगते ही दोनो का सिर फट गया और काफी खून बहने लगा। मो0 फैज व मो0 कैफ उनके ससुर मो0 हफीज को जमीन पर पटक दिया और जान मारने की नियत से उसके गले में गमछा फंसाकर दोनो हाथ से खींचने लगा तथा मो0 सलाउद्दीन दबिया लेकर उनके ससुर के सिर पर वार करने लगा जिससे उनका सिर फट गया और वो बेहोस होकर जमीन पर गिर गया। मो0 नजमूल उनके पति मो0 कासीम व भैंसुर मो0 हसीम पर पिटना लेकर ताबड़तोड़ वार करने लगा जिससे उनको अंदरूनी चोट लगा। मोमिना खातून एवं बीबी गुलशन उनके घर के अन्दर घुसकर घर में रखा बक्सा निकाल कर उसमें रखा उसमे रखा 1500 / –रूपया निकाल ली। हंगामा सुनकर आसपास के ग्रामीण आये लोगों को आते देख उक्त सभी लोग भाग गये। घटना के बाद सूचिका तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों का ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापंगज में करायी। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि	

न्यायालयः राकेश कुमार–III
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
प्रतापगंज थाना काण्ड संख्या– 65 / 2026

17/07/26 **लगातार**	प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी में प्रार्थी अभियुक्तगण पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ गाली–गलौज, मारपीट कर जख्मी करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी में प्रार्थी अभियुक्त मो0 फारुख पर सूचिका के भैंसुर मो0 नूरआलम को रॉड से सिर पर मारने का, प्रार्थी अभियुक्त मो0 फैज व मो0 कैफ पर सूचिका के ससुर मो0 हफीज को जान से मारने की नियत से पटककर गले में गमछा फंसाकर दोनो हाथों से खींचने का स्पष्ट आरोप भी है तथा प्रार्थी अभियुक्त मो0 सलाउद्दीन पर सूचिका के ससुर को दबिया से सिर पर वार कर जख्मी करने का व प्रार्थी अभियुक्त मो0 नजमुल पर सूचिका के पति मो0 कासीम व भैंसुर मो0 हसीम को ताबड़तोड़ पीटकर एवं वार कर उनको अंदरूनी चोट कारित करने का तथा प्रार्थी अभियुक्त मो0 अफरोज एवं मो0 समशाद पर भी सूचिका एवं उनके परिवार के सदस्यों को हरवे हथियार से लैश होकर गाली–गलौज, मारपीट करने एवं मारपीट कर जख्मी करने का स्पष्ट आरोप भी है। कांड दैनिकी के कंडिका 10 में वादी का पुनः बयान है एवं कंडिका 6 एवं 7 में साक्षीगण मो0 सादिक एवं सकुर का बयान है जिन्होंने प्राथमिकी व घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका 37 में जख्मियों क्रमशः मो0 हफीज, मो0 हैदर, मो0 नजमूल, सलकुन खातून, मो0 हाशीम, मो0 नूर आलम एवं मो0 कासिम का जख्म प्रतिवेदन भी संलग्न है जो कि प्राथमिकी में वर्णित घटना को संपुष्ट करता है एवं जख्म प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि जख्मियों को जान मारने की नियत से सिर एवं शरीर के अन्य मर्म भागो पर जख्म कारित की गयी है। कांड दैनिकी के कंडिका 40 में प्रार्थी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का वर्णन है जिसमें प्रार्थी अभियुक्त मो0 फारुख के विरुद्ध प्रतापगंज थाना कांड सं0 01 / 11 अंतर्गत धारा 147 / 149 / 323 / 324 / 307 / 504 / 380 / 427 भादं0वि0 एवं प्रतापगंज थाना कांड सं0 07 / 21 अंतर्गत धारा 147 / 149 / 341 / 323 / 324 / 379 / 504 / 506 भा0दं0वि0 दर्ज बताया गया है तथा प्रार्थी अभियुक्त मो0 सलाउफदीन के विरुद्ध प्रतापगंज थाना कांड सं0 01 / 11 अंतर्गत धारा 147 / 149 / 323 / 324 / 307 / 504 / 380 / 427 भादं0वि0 दर्ज बताया गया है। अभिलेख एवं कांड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है एवं जख्म प्रतिवेदन से घटना का समर्थन होता है तथा वर्तमान में मामला अनुसंधानरत है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारित अपराध की गंभीरता एवं जख्म प्रतिवेदन को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्त मो0 सलाउद्दीन उर्फ बौआ, मो0 समशाद, मो0 अफरोज, मो0 नजमूल, मो0 फारुफ, मो0 फैज एवं मो0 कैफ की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है** एवं प्रार्थी अभियुक्ता बीबी मोमिना उर्फ मुबिना खातुन एवं बीबी गुलशन महिला है एवं इनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। **अतः ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी अभियुक्ता मोमिना खातून एवं बीबी गुलशन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।** तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्ता की गिरफ्तारी या 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कि स्थिति में संबधित विद्वान न्यायालय अभियुक्तगण को मो0 10,000 / – रूपये के समान राशि के दो–दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र देने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधिन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	